अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–649 / 2026

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार दिनांक 22.05.2026

1. मो0 इंजीमाम उर्फ मो0 इंजीमामुद्दीन पुत्र मो0 हसनैन.....आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार.....विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से – श्री महेश प्रसाद, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी (राज्य) की ओर से – श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान अधिवक्ता।

==========

आदेश

22.05.2026 आवेदक / अभियुक्त **मो0 इंजीमाम उर्फ मो0 इंजीमामुद्दीन** कि ओर से धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत लहेरियासराय थाना काण्ड संख्या 27 / 2026 अन्तर्गत धारा 317(4), 317(5) बी0एन0एस0, जो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित हैं, में अग्रिम जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया।

2. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री अमरेन्द्र नारायण झा को सुना गया।

3. अभियोजन वाद का सारांश सूचक के अनुसार यह है कि दिनांक 19.01.2026 को समय करीब 16.50 बजे गुप्त सूचना के आधार पर भिगो सरकारी स्कूल के पीछे खाली मैदान में पहूॅचे तो दो व्यक्ति लाल रंग के ई–रिक्शा के आधा कटे हुए बॉडी के पार्ट्स और औजार को छोड़ भागना शुरू कर दिए जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों व्यक्ति को घेरकर अधकटे लाल रंग के ई–रिक्शा के पास पकड़ा गया। नाम पूछने पर जयदा और मोहसिन बताएं। उक्त कटे महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 ई–रिक्शा गाड़ी के दस्तावेज मांगा गया तो उक्त दोनों पकड़ाए व्यक्ति के द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। इबरान एवं अशरफ की मिलीभगत से पकड़ाये उक्त दोनों जयदा एवं मोहसिन के द्वारा दिनांक 18.01.2026 को चोरी की ई–रिक्शा को भिगो सरकारी स्कूल के मैदान में लाकर चारो सभी गाड़ी के पार्ट्स अलग–अलग कर बेचने के फिराक में थे।

4. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का किसी अन्य न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन ना हीं दाखिल किया गया है और ना ही कहीं लंबित है। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अवेदक के घर से कोई भी चोरी की वस्तु बरामद नहीं हुआ है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसा सूचक द्वारा आरोपित किया गया है। आवेदक का जप्त चोरी की वस्तु से कोई संबंध नहीं है। जप्ती सूची के अवलोकन से विदित होता है कि पुलिस के द्वारा टेबुल पर बैठकर कहानी बनाया गया है। आवेदक को गिरफ्तार कर स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है जिसका कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। अन्य सह–अभियुक्त को इस न्यायालय से बी0पी0 सं0 175 / 26, 329 / 26 से जमानत दी गई है। आवेदक को गलतफहमी एवं व्यक्तिगत ईर्ष्या को लेकर इस झूठा केस में फंसाया गया है। आवेदक / अभियुक्त स्थानीय है तथा न्यायालय के संतुष्टि के लिए उचित राशि का बंधपत्र देने को तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई।

पीठासीन पदाधिकारी : उपेन्द्र कुमार **दिनांक 22.05.2026**

6. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं केस दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत कांड धारा–317(4), 317(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 2 में वादी का बयान तथा कंडिका 5 में साक्षी ने प्राथमिकी के घटना का समर्थन किया है। आवेदक / अभियुक्त को सह–अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान है के आधार पर इस केस में आरोपित किया गया है। आवेदन की कंडिका 3 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के पिता द्वारा शपथ पत्र के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दाखिल किया तथा कहा है कि उसका पुत्र इस तरह के अपराध एवं कोई भी अवैध कार्य में शामिल नहीं होगा। आवेदक के द्वारा शपथ पत्र के साथ गया है तथा कहा कि घटना की तिथि व समय को वह अपने पिता एवं छोटा भाई के साथ दिनांक 19.01.2026 को गंगासागर एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता गया था तथा वह दिल्ली में न्यूम्ड डायग्नोस्टिक एंड जनसेवा डायग्नोस्टिक एंड पैथ लैब में जेनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है जिससे संबंधित ट्रेन टिकट एवं कागजात प्रस्तुत किया है। अन्य सह–अभियुक्त को इस न्यायालय से बी0पी0 सं0 175 / 26 एवं 329 / 26 से जमानत दी गई है। इस कांड में अभी भी अनुसंधान जारी है।

7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को कतिपय शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक / अभियुक्त **मो0 इंजीमाम उर्फ मो0 इंजीमामुद्दीन** को धारा–482 BNSS के शर्तों के अधीन निम्न न्यायालय में इस आदेश के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में 10,000 / –(दस हजार) रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंध पत्र देने पर इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि– 1. एक जमानतदार करीबी संबंधी होगा 2. आवेदक कांड के अनुसंधान में सहयोग करेगा।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0 / –

(उपेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम,
दरभंगा।

Date of Judgment/Order	22-05-2026
Date of Reserving Judgment/Order	22-05-2026
Uploading Date	27-05-2026
Uploaded by	Abhay Kumar(steno)